डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय

Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University

पूसा, समस्तीपुर, बिहार - 848125

Pusa, Samastipur, Bihar -848125

OFFICE ORDER

विश्वविद्यालय के अधीन कृषि विज्ञान केन्द्रों (केवीके) के वित्तीय प्रबंधन एवं उससे संबंधित कार्यों के सुचारु संचालन हेतु निम्नलिखित व्यवस्था तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगी–

In order to ensure effective financial management and related functions of the Krishi Vigyan Kendras (KVKs) functioning under the jurisdiction of the University, The following arrangements shall come into effect with immediate effect:

1. कृषि विज्ञान केन्द्र के वरीय वैज्ञानिक एवं प्रधान (Senior Scientist & Head) संबंधित कृषि विज्ञान केन्द्र के आहरण एवं संवितरण अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।

The Senior Scientist & Head of the Krishi Vigyan Kendra (KVK) shall function as the Drawing and Disbursing Officer (DDO) of the respective KVK.

2 विश्वविद्यालय में प्रचलित द्वि-हस्ताक्षरी (Dual-Signatory) व्यवस्था के अनुरूप, संबंधित कृषि विज्ञान केन्द्र में पदस्थापित किसी एक विषय वस्तु विशेषज्ञ (SMS) को सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति से सह-हस्ताक्षरी/द्वितीय हस्ताक्षरी के रूप में नामित किया जाएगा, जो कृषि विज्ञान केन्द्र के समस्त वित्तीय एवं लेखा संबंधी कार्यों के निष्पादन हेतु उत्तरदायी होंगे।

In accordance with the University's dual-signatory system, one Subject Matter Specialist (SMS) posted at the concerned KVK, duly nominated with the prior approval of the Competent Authority, shall function as the Co-signatory/Second Signatory and will be responsible for all financial and accounting activities of the KVK.

3. कृ०वि०के० के समस्त वित्तीय एवं बैंकिंग लेन-देन वरीय वैज्ञानिक एवं प्रधान तथा नामित विषय वस्तु विशेषज्ञ के संयुक्त हस्ताक्षरों से संचालित किए जाएंगे।

All financial and banking transactions of the KVK shall be operated jointly by the Senior Scientist & Head and the nominated Subject Matter Specialist (SMS) of the concerned KVK.

4. उक्त दायित्व हेतु अधिकारी को अधिकृत किए जाने के समय महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील दायित्वों से संबंधित प्रावधानों/निर्देशों तथा अधिकारियों के आवधिक परिवर्तन संबंधी केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। सह-हस्ताक्षरी/द्वितीय हस्ताक्षरी के रूप में नामित अधिकारी को सामान्यतः दो वर्ष की अवधि के उपरांत परिवर्तित (rotate) किया जाएगा।

While authorizing an official for the said assignment, the provisions/guidelines relating to important and sensitive responsibilities, along with the Central Vigilance Commission (CVC) guidelines regarding periodic rotation of officials, shall be strictly complied with. The official designated as Co-signatory/Second Signatory shall ordinarily be rotated after an interval of two years.

यह आदेश सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति से निर्गत किया जाता है।

This order is issued with the approval of the competent Authority.

सतीश उ० सिंह 24/06/2026

उप कुलसचिव (स्थापना)

वितरण :-

1. निदेशक, प्रसार शिक्षा/ कुलसचिव/ नियंत्रक/ सभी वरीय वैज्ञानिक एवं प्रधान, कृ०वि०के०, रा०प्र०के०कृ०वि०, पूसा।
2. प्रभारी पदाधिकारी, ई-गवर्नेस सेल को विश्वविद्यालय वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु।
3. कुलपति के सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।